बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक :– मु0अ0–4(मु0)ASSY–11–01 / 2022 - 1419 (अ0उ0) दिनांक–15/04/2025

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
कार्य प्रमंडल,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

विषय :– सुलभ संपर्कता योजना से संबंधित मार्गदर्शिका के अनुपालन के संबंध में। ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा संकल्पित सुलभ संपर्कता योजना से संबंधित मार्गदर्शिका एवं चेकलिस्ट आवश्यक कार्यार्थ हेतु संलग्न की जा रही है।

इस संबंध में निदेश है कि सुलभ संपर्कता योजनांतर्गत पथों/पुलों के निर्माण हेतु मार्गदर्शिका एवं चेकलिस्ट का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

अनु- यथोक्त

विश्वासभाजन

15/04/2025

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– मु0अ0–4(मु0)ASSY–11–01 / 2022 - 1419 / दिनांक :–15/04/2025

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता एवं सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/04/2025

अपर मुख्य सचिव,

ज्ञापांक :– मु0अ0–4(मु0)ASSY–11–01 / 2022 - 1419 / दिनांक : 15/04/2025

प्रतिलिपि :– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/04/2025

अपर मुख्य सचिव

सुलभ संपर्कता योजना
मार्गदर्शिका

1. सुलभ संपर्कता योजना को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक–955 दिनांक–15.12.2020 द्वारा निर्गत संकल्प में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदत्त है।

2. योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध यातायात हेतु पंचायतों/प्रखंडों/अनुमंडलों/जिला के महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थान तथा विभिन्न महत्वपूर्ण सुविधायें यथा अस्पताल, शिक्षण संस्थान, बाजार, बैंक, वित्तीय संस्थान, पर्यटन स्थल को महत्वपूर्ण उच्च स्तर के पथों यथा राष्ट्रीय उच्च पथ/राज्य उच्च पथ/वृहद जिला पथ (NH/SH/MDR) को जोड़ने के क्रम में सुलभ मार्ग/वैकल्पिक मार्ग (थ्रू रूट/बाईपास) का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण किया जाना है।

3. विभाग में विभिन्न माध्यमों से सुलभ संपर्कता अंतर्गत पथ निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्ताव को जिला पदाधिकारी द्वारा विहित चेकलिस्ट के साथ अनुशंसा प्राप्त की जायेगी। तदोपरांत पथ के निर्माण हेतु विभाग से चयनोपरांत वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति दी जायेगी।

4. योजना के तहत चयनित पथ में नए अथवा जीर्ण–शीर्ण पुराने पुलों के पुनर्निमाण का भी प्रावधान किया जायेगा।

5. इस योजना के अंतर्गत Scope of Work को ध्यान में रखते हुए कार्य की निविदा मुख्यालय द्वारा Combined Model Bidding Document (CMBD) के आधार पर E-Tendering के माध्यम से आमंत्रित की जा सकेगी।

6. नव निर्माण कार्य हेतु मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना एवं पुर्ननिर्माण कार्य हेतु MMGSUY के अंतर्गत पूर्व से निर्गत मार्गदर्शिका का अनुपालन किया जाएगा।

7. सर्वप्रथम सरकारी भूमि उपलब्ध पथों के निर्माण को प्राथमिकता दी जायेगी। विशेष परिस्थिति में भूमि को सतत् लीज/अधिग्रहण नियमानुसार की जायेगी।

8. मुख्य अभियंता, निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण इस योजना का अनुश्रवण एवं समन्वय करेंगे। विभागीय समीक्षात्मक बैठकों में सुलभ सम्पर्कता योजना की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

9. पथ के निर्माण हेतु एक वर्ष की कार्य अवधि निर्धारित की जायेगी। तदोपरांत छः (06) वर्ष तक Output & performance based तहत कार्यो का क्रियान्वयन एवं प्रबंधन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पाँचवे वर्ष में एक Coat Surface Renewal का प्रावधान है।

10. प्रशासी विभाग समय–समय पर योजना से संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

सुलभ संपर्कता अंतर्गत चयन हेतु प्रस्तावित पथ से संबंधित जाँच बिन्दु (Checklist)

1- पथ का नाम एवं लम्बाईः—

2- जिला, प्रखंड एवं कार्य प्रमंडल का नाम :—

3- प्रस्तावित पथ की उपयोगिता संबंधित विवरणीः—

(i) प्रस्तावित पथ से निकटतम अवस्थित सुविधाये (पर्यटन स्थल/बाज़ार/ प्रशासनिक संस्थान/शिक्षण संस्थान /अस्पताल/ वित्तीय संस्थान/अन्य)

(ii) प्रस्तावित पथ का उच्चतर स्तर के पथ (NH/SH/MDR) से संपर्कता :—

(iii) प्रस्तावित पथ के निर्माण से यातायात के समय एवं दूरी में कमी से संबंधित विवरणीः—

4- भूमि उपलब्धता संबंधित विवरणी (सरकारी भूमि/निजी भूमि):—

5- निरीक्षण की तिथि एवं निरीक्षण पदाधिकारी का नाम/पदनामः—

हस्ताक्षर